फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 74 संख्याः 03 प्रभात जयपुर, गुरुवार 3 अगस्त, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 3.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

Vagli started to misbehave again (...2) All pumps were started to pump out water from Comp -2, trying to make Vagli lighter, fill it with compressed air, Vagli kept going down

Time To Exercise! "The challenge with this is that most, if not all, people know exercise is good for them but they don't know the best approach," says Steven Malin

एमेज़ॉन रिवर डॉलफिन्स मुख्यतः ब्राज़ील, बोलीविया, कोलम्बिया, इक्वडोर, पेरु और वैनेज़ुएला में पाई जाती हैं। गुलाबी रंग के ये स्तनपायी जीव आई. यू. सी.एन. (इन्टरनैशनल यूनियन फॉर कंज़र्वेशन ऑफ नेचर) की "एन्डेन्जर्ड" लिस्ट में अधिसूचित हैं। आई. यू. सी.एन. के अनुसार आवास विनाश, फिशिंग, बायकैच और इरादतन हत्या इनके लिए मुख्य खतरे हैं पर अब इस लिस्ट में बांध निर्माण और "ड्रैजिंग," अर्थात नदी के तल से मिट्टी का दोहन, भी जुड़ गया है। एक्सटर युनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं और पेरु के संरक्षण संगठन "प्रो डैलफिनस" ने पेरु के एमेज़ॉन क्षेत्र में सैटलाइट टैग के जरिए 8 डॉलफिन्स को ट्रैक किया। वे जानना चाहते थे कि, फिशिंग, बांध निर्माण तथा ड्रैजिंग से डॉलफिन्स किस कदर प्रभावित हो रही हैं। शोधकर्ताओं ने लिखा है कि, बांध निर्माण, खासकर ब्राजील में, एक अप्रत्याशित खतरा है। यहां 125 बांध निर्माणधीन हैं और अगले 30 सालों में 428 बांध और बनाए जाने हैं। शोधकर्ताओं ने लिखा कि, एक बड़े प्रोजैक्ट, एमेज़ॉन वॉटर वेज़, को स्वीकृति दे दी गई है। इस प्रस्तावित वॉटर वेज़ प्रोजैक्ट में एमेज़ॉन बेसिन की चार मुख्य नदियों से ड्रैजिंग की जाएगी और जहाजों के आवागमन के लिए बंदरगाहों का विस्तार किया जाएगा। शोध में पाया गया कि, समीपस्थ प्रस्तावित बांध से ये डॉलफिन्स औसतन 150 मील और समीपस्थ ड्रैजिंग साइट से 77 मील दूर रहती हैं। हालांकि, यह दूरी सुनने में सुरक्षित लग सकती है पर डॉलफिन्स की आवास रेंज 30 मील तक फैली होती है इसलिए बांध निर्माण व ड्रैजिंग से इनके आवास पर प्रभाव पड़ सकता है। जर्नल, ऑरिक्स में छपे इस शोध में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि, बांधों व एमेज़ॉन वॉटर वेज़ के निर्माण से इन नदियों में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों को खतरा है।

मोदी सरकार ओ.बी.सी. जातियों के "सब कैटिगराइज़ेशन" की प्रक्रिया शुरू करेगी?

जस्टिस पी. रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद ओ.बी.सी. के सब कैटिगराइज़ेशन की संभावना प्रबल हो रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अगस्त। भाजपा को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा है कि, पटना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को वे सारी याचनाएं खारिज कर दीं, जो नीतीश कुमार सरकार द्वारा जातिगत सर्वे करने की पहल के खिलाफ दायर की गई थीं। अब केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा ने 2024 के चुनावों से पहले देश के जातीय समीकरणों को बारीकी से देखना शुरू कर दिया है।

जहां इस बात की संभावना है कि बिहार सरकार उस जातिगत सर्वे को फिर से शुरू कर देगी, जो मई में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया गया था, वहीं ऐसी अपेक्षा है कि ओ.बी.सी. जातियों के उप "सब कैटेगराइजेशन" पर जस्टिस जी. रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के अंतिम रूप में आने के बाद, केन्द्र सरकार भी सक्रिय हो जायेगी तथा समानान्तर गतिविधि शुरू कर देगी।

- भाजपा को आशंका है कि, सपा, आर.जे.डी. व नीतीश कुमार की जद (यू) जैसी पार्टियाँ जातिगत सर्वे के आधार पर लोकसभा चुनाव से पहले मंडलीकरण की राजनीति और तेज कर देंगी।
- मोदी सरकार का प्रयास ओ.बी.सी. वर्ग की अति पिछड़ी जातियों तक यह संदेश पहुंचाना है कि, ओ.बी.सी. आरक्षण का बड़ा भाग प्रभुत्व सम्पन्न पिछड़ी जातियों को मिल रहा है और अति पिछड़ी जातियाँ इससे वंचित हो रही हैं।
- गौरतलब है कि, नीतीश कुमार की जात आधारित जनगणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं और अब नीतीश जात आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया पुनः शुरू कर सकते हैं।

ज्ञातव्य है कि जस्टिस जी. रोहिणी आयोग को यह काम सौंपा गया था कि वह ओ.बी.सी. जातियों में आरक्षण के लाभों के असमान विवरण की सीमा की जांच करे। बताया जाता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। छः साल पहले गठित किये गये इस आयोग ने कार्यावधि में 13 बार वृद्धि किये जाने के बाद, अन्ततोगत्वा अपना काम पूरा कर लिया है।

समझा जाता है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओ.बी.सी. के अंदर सब कैटेगराइजेशन के लिये वैज्ञानिक आधार पर मानदण्डों (क्राइटेरिया, नॉर्म्स एण्ड पैरामीटर्स) की अनुशंसा की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा को ओ.बी.सी. का ठोस समर्थन हासिल हुआ है और इस समर्थन का एक बड़ा कारण पार्टी की वे नीतियां रही हैं, जो ओ.बी.सी. के उपेक्षित समुदायों को आरक्षण का लाभ देने के लिये अपनाई गई हैं। इस आयोग की सिफारिशें सत्तारूढ़ दल को ऐसा आधार प्रदान कर देंगी कि पार्टी उन ओ.बी.सी. समुदायों के लिये उपयोगी नीतियां बना सके, जो अब तक यथेष्ट संरक्षण से वंचित रहे हैं।

पिछले वर्षों में भाजपा नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हैं, जाति आधारित पार्टियों, जैसे समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल के घोर आलोचक रहे हैं। भाजपा के अनुसार, इन जाति आधारित पार्टियों ने अवसरों का बहुत बड़ा हिस्सा ओ.बी. सी. की समर्थ एवं सक्षम जातियों को दे दिया है तथा कमजोर तबके भूखों मर रहे हैं।

भाजपा, प्रकटतः जातिगत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'बिना हिसाब-किताब किए रेवड़ियाँ बांट रही है कांग्रेस, कर्नाटक में खजाना खाली है और राजस्थान में भी'

प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि, कर्नाटक और राजस्थान सरकार सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए अन्य मदों का पैसा भी खर्च कर रही हैं

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अगस्त। चूँकि कर्नाटक सरकार का अपनी चुनावी गारंटियों (फ्रीबीज़) के लिये पैसे की व्यवस्था करने में मुश्किलें आ रही है, इसलिये भाजपा इस बिन्दु को लेकर कांग्रेस की छवि को खराब करने में लगी हुई है। भाजपा कांग्रेस की आलोचना करते हुये, यह बात तो पहले से कहती आ रही है कि एस.सी./एस.टी. कल्याण के लिये निर्धारित पैसे को चुनावी गारंटियों को पूरा करने के काम खर्च किया जा रहा है।

- ज्ञातव्य है कि, कर्नाटक सरकार ने 14,000 करोड़ रूपए के चुनावी वायदे पूरे करने के लिए एस.सी./एस.टी. कल्याण कोष के 11,000 करोड़ रू. का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि, कांग्रेस अनाप -शनाप चुनावी वायदे कर रही है और उसे यह भी नहीं पता कि, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। इस प्रकार कांग्रेस अपने शासित राज्यों को आर्थिक संकट में डाल रही है।

भाजपा कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के इस सहज स्वीकरण का पूरा-पूरा लाभ ले रही है जिसके अन्तर्गत उन्होंने यह कहा था कि जाँच चुनावी गारंटियों को पूरा करने, जिसमें करीब 14000 करोड़ रू. का वित्तीय भार उठायेगा, के कारण विकास-कार्य के लिये पैसे की कमी आ रही है।

कर्नाटक सरकार के इस निर्णय के बाद कि एस.सी./एस.टी. कल्याण के लिये रखे पैसे में से 11000 करोड़ रू. को पाँच चुनावी गारंटियों के क्रियान्वयन के काम में लिया जायेगा, भाजपा ने कांग्रेस पर कड़े प्रहार करना शुरु कर दिया है।

शिवकुमार की इस स्वीकारोक्ति तथा "एस.सी./एस.टी. कल्याण की राशि को अन्य कार्यों पर खर्च करने को तत्काल झपटते हुये, भाजपा ने 2024 के आम चुनावों से पहले, कांग्रेस पर कड़े प्रहार करना तथा उसकी छवि खराब करना शुरु कर दिया है।

कांग्रेस पर किये जा रहे इस हमले का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कर रहे हैं। उन्होंने आज अपने भाषण में कहा कि कांग्रस द्वारा बिना सोचे समझे प्रीवीज़ की घोषणाएं कर देने के कारण, जो उसने सत्ता प्राप्त करने के निजी लाभ के लिये की थीं, के कारण कर्नाटक अस्त व्यस्त हो रहा हैं। कर्नाटक ही नहीं, राजस्थान के राजकोष में भी पैसा नहीं रहा है।

भाजपा के अन्य नेताओं ने भी इसी स्वर में कांग्रेस की निन्दा की। कर्नाटक के केन्द्रीय मंत्रियों तथा लोकसभा सांसदों से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई तक पूरी कर्नाटक भाजपा अपने हमले में एक ही बात कह

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।?
ऑटोमेटिक कान की मशीनें
स्पीच थैरेपी
कॉकलियर इम्पलांट, ऑटिजम
डिले स्पीच, हकलाना, तुतलाना
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS
Tonk Road, JAIPUR | Vaishali Nagar, JAIPUR
सम्पर्क- 94602 07080

मणिपुर के मसले पर राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अगस्त। मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर बुधवार को संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा दोपहर दो बजे तक स्थगित रही। हंगामा प्रश्नकाल में शुरु हुआ जब सदन की अध्यक्षता मिथुन रेड्डी कर रहे थे। राज्यसभा में भी विपक्ष ने वॉक आउट किया।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से बहस हो गई। उन्होंने विपक्ष के वॉक आउट के बाद पी.टी. ऊषा को सदन की जिम्मेवारी सौंपी। मणिपुर हिंसा पर मोदी को बुलाने की मांग नहीं मानने के कारण विपक्ष ने वॉक आउट किया।

- लोकसभा भी मणिपुर हिंसा पर विपक्ष के विरोध व हंगामे की वजह से 2 बजे तक स्थगित रही।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से सदन में आ सकते है, वे उन्हें सम्मन नहीं भेज सकते हैं। यह नियम के खिलाफ है, उन्होंने नियम 267 के तहत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'लोकसभाध्यक्ष बिड़ला नाराज़ हैं या नाटक कर रहे हैं'

राजनैतिक विश्लेषकों का कहना है कि, स्पीकर की नाराज़गी और सदन में अनुपस्थिति विपक्ष के गठबंधन "इंडिया" की छवि खराब करने की कोशिश है

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अगस्त। राजनैतिक हलकों में यह चर्चा जोरों पर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला निचले सदन में चल रह गतिरोध से बहुत व्यथित हैं और लोग पूछ रहे हैं कि यह सच है या कल्पना।

आज एक समाचार चैनल पर सूत्रों क हवाले से दी गई खबर में बताया गया कि बिड़ला ने संसदीय गतिविधियों में लगातार आ रहे व्यवधान पर सरकार और विपक्ष दोनों के समक्ष नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वे तब तक सत्रों में भाग नहीं लेंगे जब तक सांसद सदन की गरिमा के अनुरूप व्यवहार नहीं करते।

सूत्रों के अनुसार हालांकि आज जब लोकसभा की कार्रवाई आरंभ हुई तब बिड़ला अध्यक्ष के आसन पर नहीं थे, इसलिए यह नाराज़गी का दिखावा सरकार द्वारा प्रायोजित हो सकता है ताकि इंडिया गठबंधन का जनता के सामने नकारात्मक रूप से पेश किया जा सके।

- एक न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार, बिड़ला ने संसद में चल रहे सतत गतिरोध के लिए सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और विपक्षी दलों के प्रति नाराजगी प्रकट की थी और कहा था कि, जब तक सांसद सदन की गरिमा के अनुसार आचरण नहीं करेंगे वे सदन में नहीं आएंगे।
- हालांकि, अधिकृत रूप से लोकसभाध्यक्ष की अनुपस्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है।

अध्यक्ष के आसन पर न होने के बारे में आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।

आज भी शोरगुल जारी रहा जिससे सदन पहले दो बजे तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित हो गया।

लोकसभा दिन भर के लिए स्थगित हुई क्योंकि विपक्षी सदस्यों ने मणिपुर मामले पर विरोध जारी रखा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से राज्य की स्थिति पर वक्तय मांगा जो कई महीनों में जातीय हिंसा से त्रस्त हैं।

कार्यवाही की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के सदस्य किरीट सोलंकी ने विपक्षी सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की लेकिन अंत में दिन भर के लिए सदन स्थगित कर दिया।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रेल्वे का नया ऑफर "बुक नाओ पे लेटर"

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अगस्त। प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों का टिकट प्रथम आरक्षण-चार्ट के तैयार होते समय स्वतः (ऑटोमैटिकली) निरस्त हा जाता है तथा पैसा-वापसी की प्रक्रिया स्वतः ही शुरु हो जाती है। बैंक से कह दिया जाता है कि अगले दिन पैसा वापस कर दिया जाये।

- रेल्वे के इस ऑफर के बारे में लोकसभा में जानकारी देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि, ई.एम.आई. में भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध है।

बुधवार को लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताते हुये, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगर पैसा डेबिट हो जाता है तथा टिकट बुक नहीं होता तो

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

फर्जी लैब्स के कारण पनप रहा है हैल्थ इंश्योरैंस स्कैम...(3)

आर.जी.एच.एस. में किसी प्राइवेट लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अतः हर छोटी-मोटी गैर मान्यता प्राप्त लैब भी रिपोर्ट दे सकती है और यह रिपोर्ट आधार बन जाती है इंश्योरैंस क्लेम का

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 2 अगस्त। राज्य सरकार ने मैडिकल लैब्स की पंजीयन की प्रक्रिया और उन लैब्स के नाम सार्वजनिक नहीं करके ना केवल फर्जी लैब्स को पनपने में मदद की है, बल्कि फर्जी रिपोर्ट्स के माध्यम से इंश्योरेंस की ठगी को भी बढ़ावा दिया है। क्योंकि लोग पैसे देकर भी मनमानी रिपोर्ट्स बनवा सकते हैं। राज्य सरकार के रवैये, कि वह स्वयं मैडिकल लैब्स के पंजियन करने के लिए बजट पारित नहीं कर रही है, से सरकार की केवल यह मंशा उजागर होती है कि वह लोगों को सही मैडिकल ट्रीटमैंट देने के लिए कितनी गंभीर है। राज्य सरकार की उदासीनता को देखते हुए अफसरों में भी भ्रष्टाचार पनपता है। यह इस बात का प्रमाण हमें तब देखने को मिलता है जब प्रदेश में लैब्स का अस्थायी पंजीयन करने में भी साफ-साफ भ्रष्टाचार के सबूत मिलते है।

- इस झूठी-सच्ची टैस्ट रिपोर्ट पर आधारित उपचार तो गलत हो ही सकता है, यह प्रथा "इंश्योरैंस क्लेम" के स्कैम की पहली सीढ़ी है।
- केन्द्रीय सरकार की हैल्थ स्कीम (सी.जी.एच.एस.) व सेना की हैल्थ सेवा का लाभ लेने के लिये बाकायदा स्वीकृत लैब्स का पैनल होता और इस तरह "एमपैनल्ड लैब्स" के रिज़ल्ट को आधार बनाया जा सकता है, इलाज का व क्लेम का।
- यह प्रणाली राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं अपना रखी।
- रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं होने से सभी लैब्स टैस्ट रिपोर्ट देने का अधिकार रखती हैं।
- ऊपर से व्यवस्था में ही खामी है, तो नीचे स्तर पर क्रियान्वयन के रूख पर भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक ही है।

सूत्रों से प्राप्त दस्तावेज़ के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने जयपुर की सेठी कॉलोनी में एक लैब का स्थायी पंजीयन वर्ष 2019 में किया था, परंतु अधिकारियों ने फॉर्म में मांगी गई महत्वपूर्ण जानकारी जैसे, 'व्यक्ति का नाम' और 'औषध की पद्धति' श्रेणी में कोई जानकारी नहीं दी है।

सवाल यह कि जब पूरी जानकारी नहीं दी गई थी तो इस लैब का पंजीयन क्यों और कैसे किया गया?

राज्य सरकार ने लोकायुक्त को दिए गए जवाब में चिकित्सा संस्थानों एवं लैब्स के पंजीयन नहीं किए जाने के संदर्भ में यह भी कहा है कि क्लीनिकल एस्टैबलिशमेंट एक्ट एवं रूल्स का पूरी तरह क्रियान्वयन कराने के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इस संदर्भ में अधिक जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाना है जिसके लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से बजट का प्रस्ताव प्रेषित किया है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है अर्थात इस पर केन्द्र

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में विहिप की रैली के खिलाफ याचिका

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 2 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम समुदाय के कुछ सदस्यों ने अपील की कि विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) और उसकी शाखा बजरंग दल ने नूह जिले में हुए हिंसा पर नई दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, उस पर रोक लगाई जाए।

- सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में दिल्ली प्रशासन को आदेश दिया कि, विहिप की रैली में "हेट स्पीच" नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए तथा पूरी सतर्कता बरती जाए।

याचिका कर्ताओं ने कहा कि उनकी याचिका को त्वरित सुनवाई के लिए "हेट स्पीच" बैंच की याचिकाओं में शामिल किया जाए।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)